

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बनेड़ा
जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या..... 53/2019 ना.क.

पटवार हल्का..... वनाम श्री
तहसील-बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

अनवान

पिता श्री.....
जाति..... निवासी.....

(प्रार्थी)

(अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
निर्णय

दिनांक 18/12/19

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:-
ग्राम..... पटवार मण्डल..... तहसील बनेड़ा की
बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर..... में से रकबा..... बीघा पर
अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्बन्धित..... के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस.....
..... काश्त/अवैध कब्जा/..... कर लेने पर पटवारी
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया
गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण
होना तथा जिस..... काश्त स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है अतः प्रार्थी
को अतिक्रमी करार देतेहुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान..... X
..... का गुणा..... रूपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई
जावे। बाद तामिल तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार बनेड़ा
भीलवाड़ा (राज.)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत तहसीलदार बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

किस्म मुकदमा प. ह. वनेड़ा वनाम बकनाल खो सन् 53/19

..... प्र०स० धारा १५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसहुकम की तामील में जारी हुए
8.11.19 10.12.19 10.11.19	<p>अकालत में जज रजिस्टर होकर या न. 3 10.12.19 को जारी था व बहुत गौरव वाली हो सम्बन्धी दिनांक 10.12.19</p> <p>तहसीलदार बनेड़ा भीलवाड़ा (राज.)</p>	
10.12.19	<p>पञ्जावली पेठा हुई। अपार्थी उपदिखल हुंआ निवर्तन पृथक से लिखवाया जाकर शा. मि. किया जाकर कैमल शुमार होकर रजि. मि नम्बर से कम रहे।</p> <p>तहसीलदार बनेड़ा भीलवाड़ा (राज.)</p>	<p>(Signature)</p>